रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 151] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 25, 2014/चैत्र 4, 1936
No. 151] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 25, 2014/CHAITRA 4, 1936

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली ,24 मार्च,2014

सा .नि.का.208(अ).–राष्ट्रपति कके परन्तु 309 दसंविधान के अनुच्छे ,द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुएविशेष समाचार संवाददाता और ,के अधीन दूरदर्शन में प्रधान संवाददाता (भारतीय प्रसारण निगम) प्रसार भारती , ,लिखित नियम बनाते हैंदूरदर्शन समाचार संवाददाता के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्न अर्थात्‌-:

1: नाम और प्रारंभसंक्षिप्त .)1(इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) ,दूरदर्शन समाचार संवाददाता भर्ती नियम2014 है।

(2) होंगे।ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त

आरंभिक गठन .2.–ऐसे पदधारी जिन्हें इन नियमों के प्रारंभ से पहले नियमित आधार पर नियुक्त किया गया हैसेवा , ,ति किया गया समझा जाएगा और सेवा में प्रोन्नश्रेणी और काडर को इन नियमों के अधीन नियुक्त ,मान पदमें तत्स और पेंशन के प्रयोजन के लिए उनकी सेवा को गणना में ली जाएगी।पुष्टि

3. पदों की संख्यावेत ,वर्गीकरण ,न बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.-पदों की संख्यावेतन बैंड और ग्रेड वेतन या ,) भवेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तं2) भसे स्तं (4 हैं।में विनिर्दिष्ट (

4. भर्ती की पद्धतिअर्हता आदि ,आयु सीमा ,.-उक्त पदों पर भर्ती की पद्धतिअर्हताएं और उससे संबंधित ,आयु सीमा ,) भ अनुसूची के स्तं बातें वे होंगी जो उक्तअन्य1) से (13 हैं।में विनिर्दिष्ट (

5. निरर्हता.- वह व्यक्ति-

या ,विवाह किया है , जीवित हैं से जिसका पति या जिसकी पत्नीक्तिजिसने ऐसे व्य (क) विवाह की संविदा की है या

क् के जीवित रहते हुए किसी व्यजिसने अपने पति या अपनी पत्नी (ख)ति से विवाह किया है या विवाह ,की संविदा की है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

य सरकार का यह सम यदि केन्द्रीपरन्तुाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन हैवहां वह , लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उन्हें ,उसके लिए जो कारण हैं आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी। ,यों की बाबतक्तिउपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्य

वृत्तिव्या .7.- इन नियमों की कोई बात सीमा में छूट और-आयु ,ऐसे आरक्षण ,अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी , ,समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों-य सरकार द्वारा इस संबंध में समयजिनका केन्द्री विशेष प्रवर्ग पिछड़े वर्गों और अन्यअन्य ,अनुसूचित जनजातियोंके व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयुसीमा-	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
)1(	)2(	)3(	)4(	)5(	)6(	)7(
प्रधान संवाददाता	1*)2014(* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा , समूह'क' राजपत्रित , अननुसचिवीय	वेतन बैंड-4, 37400-67, 000 .रु+ ग्रेड वेतन .रु 8700	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं ,	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धतिभर्ती : ति सीधे होगी या प्रोन्न द्वारा या प्रतिनियुक्तिआमेलन / द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाले वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्तिआमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे / आमेलन किया जाएगा/प्रतिनियुक्ति/तिश्रेणियां जिनसे प्रोन्न

त प्रोन्न क्तियों व्य की दशा में लागू होंगी या नहीं			
)8(	)9(	)10(	)11(
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति	प्रोन्नति-वेतन बैंड :3 ,15600-39100 रु.+ ग्रेड वेतन 7600/- रु . में ऐसा विशेष समाचार संवाददाता जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष न से दो नियमित सेवा की है और भारतीय जन संचार संस्था क दूरदर्शन पत्रकारिता पाठ्यक्रम संबंधी आवश्यह का उच्चसप्ता प्रशिक्षण लियाहो , या वेतन बैंड-3 ,15600-39100 रु.+ ग्रेड वेतन 7600/- रुमें ऐसा . विशेष समाचार संवाददाता जिसने विशेष समाचार संवाददाता की -श्रेणियों में और वेतन बैंड3 ,15600-39100 रु.+ ग्रेड वेतन 6600 रुवर्ष की सम्मिलित नियमित सेवा विशेष समाचार 10 में . वर्ष की नियमित सेवा हो और 3 नतमसंवाददाता की श्रेणी में न्यू दूरदर्शन ह का उच्चन से दो सप्ताभारतीय जन संचार संस्था क प्रशिक्षण लिया होपत्रकारिता पाठ्यक्रम संबंधी आवश्य टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध मेंने जिन्हों , ति के लिए विचार प्रोन्न ,पात्रता सेवा पूरी कर ली है/अपनी अर्हक यों के संबंध में भी क्ति व्यष्ठवहां उनके ज्ये ,किया जा रहा हो विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई /अपेक्षित अर्हक ,पात्रता सेवा/ऐसी अर्हकपात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष सेकम न हो और ,इनमें से जो भी कम हो , ने ऐसी जिन्हों ,यों सहितक्ति व्यने अपने ऐसे कनिष्ठउन्हों तर श्रेणी अगली उच्च ,पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है/अर्हक ति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्में प्रोन्नवक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा ,01 जनवरी , 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त , नी ग्रेड रित तत्स्थावेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्ता वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हैतो उसकी संरचना ,	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
)12(	)13(
समूह ‘क’ विभागीय प्रोन्नति समिति प्र)ोन्नति पर विचार करने	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना

के लिए: (1. अध्यक्षसंघ लोक सेवा आयोग/सदस्य/ -अध्यक्ष 2. महानिदेशक/दूरदर्शन -सदस्य 3(प्रसारण) सचिवसंयुक्त . सूचना और प्रसारण मंत्रालय -सदस्य	आवश्यक नहीं है।

)1(	)2(	)3(	)4(	)5(	)6(	)7(
विशेष समाचार संवाददाता	2*)2014(* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ,'क' राजपत्रित , अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3, 15600- .रु 39100+ ग्रेड वेतन .रु 7600	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

)8(	)9(	)10(	)11(
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति	प्रोन्नति :वेतन बैंड 3, 15600- .रु 39100+ ग्रेड वेतन 6600/- रुमें ऐसा दूरदर्शन समाचार संवाददाता जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष . न से दो की नियमित सेवा की है और भारतीय जनसंचार संस्था क दूरदर्शन पत्रकारिता पाठ्यक्रम संबंधी आवश्यह का उच्चसप्ता प्रशिक्षण लिया हो टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध मेंने अपनी जिन्हों , ति के लिए विचार किया जा प्रोन्न ,पात्रता सेवा पूरी कर ली है/अर्हक यों के संबंध में भी विचार किया क्ति व्यष्ठवहां उनके ज्ये ,रहा हो पात्रता /जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक अपेक्षित अर् ,सेवाहक ,पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से/ ने अपने ऐसे कनिष्ठकम न हो और उन्हों ,इनमें से जो भी कम हो पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली /ने ऐसी अर्हकजिन्हों ,यों सहितक्तिव्य ति के लिए अपनी परिवीक्षा की तर श्रेणी में प्रोन्नअगली उच्च ,है अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा ,01 जनवरी ,2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया हैनियमित , वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधार पर की गई सेवा को उक्त नी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा रित तत्स्थाआधारित विस्ता समझी जाएगी।

)12(	)13(
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति प्र)ोन्नति पर विचार करने के लिए: (1. अध्यक्ष संघ/सदस्य/लोक सेवा आयोग क्षअध्य - 2. महानिदेशक दूरदर्शन/ सदस्य - 3(प्रसारण) सचिवसंयुक्त .,	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय सदस्य -						
)1(	)2(	)3(	)4(	)5(	)6(	)7(
3. दूरदर्शन समाचार संवाददाता	10* (2014) कार्यभार के आधार * पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा , समूह'क' , ,राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3 ,15600-39100 रु .+ ग्रेड वेतन .रु 6600	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

)8(	)9(	)10(	)11(
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति	प्रोन्नति: वेतन बैंड 2, 9300- .रु 34800+ ग्रेड वेतन 5400 रु . में ऐसा दूरदर्शन सहायक समाचार संवाददाता जिसने उस श्रेणी में पांचवर्ष नियमित सेवा की है और भारतीय जनसंचार संस्थान से दो सप्ताह का उच्च दूरदर्शन पत्रकारिता पाठ्यक्रम संबंधी आवश्यक प्रशिक्षण लिया हो। टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध मेंने जिन्हों , ति के लिए विचार प्रोन्न ,पात्रता सेवा पूरी कर ली है/अपनी अर्हक वहां उनके ज्ये ,किया जा रहा होष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवापात्रता सेवा के आधे /अपेक्षित अर्हक , कम न हो ,इनमें से जो भी कम हो ,से अधिक से या दो वर्ष से जि ,यों सहितक्ति व्यने अपने ऐसे कनिष्ठऔर उन्होंन्होंने ऐसी अर्हकतर श्रेणी अगली उच्च ,पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है/ ति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक में प्रोन्न पूरी कर ली हो। टिप्पण :2 प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा ,01 जनवरी , 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया हैनियमित आधार पर की गई सेवा को , रित वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्ताउक्त नी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गईतत्स्था सेवा समझी जाएगी।

)12(	)13(
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति प्र)ोन्नति पर विचार करने के लिए: (1. अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोगसदस्य/ क्षअध्य - 2. महानिदेशक दूरदर्शन सदस्य - 3(प्रसारण) सचिवसंयुक्त . सूचना और प्रसारण मंत्रालय सदस्य -	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा सं 501/08/2009-बीए (ई)]

आभा शुक्ला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 2014

G.S.R. 208 (E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Principal Correspondent, Special News Correspondent and Television News Correspondent, in Doordarshan under Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) namely:—

1. **Short Title and Commencement.—**(1) These rules may be called Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) TV News Correspondent Recruitment Rules 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Initial Constitution.—**The incumbents who have been appointed on regular basis before the commencement of these rules will be deemed to be appointed under these rules to the corresponding post, grade and the cadre in the service and their service will be counted for the purpose of promotion, confirmation and pension in service.

3. **Number of posts, Classification, Payband and grade pay or pay scale.—**The number of posts, Payband and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age limits, qualification etc.—**The method of recruitment, age limits, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 4 to 13 of the said Schedule.

5. **Disqualification.—**No person –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person

shall be eligible for appointment to the said posts;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

6. **Power to Relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Other special categories of persons in accordance with rules in force and orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether Selection or non-selection post	Age Limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
1. Principal Correspondent	1* (2014) * (Subject to variation depending on workload)	General Central Service Group 'A' Gazetted, non-Ministeria	Pay band-4, Rs. 37,400-67,000 plus grade pay Rs. 8,700	Selection	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grade from which promotion or deputation/ absorption is to be made.	If Departmental promotion committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

		methods			
8	9	10	11	12	13
Not applicable	Not applicable	Promotion	**Promotion:** Special News Correspondents in PB-3 of Rs. 15600-39100 with Grade pay of Rs. 7600 with five years of regular service in the Grade and have undergone mandatory training for two weeks Advance TV Journalism course from Indian Institute of Mass Communication. or, Special News Correspondent in PB-3 of Rs. 15600-39100 with Grade Pay of Rs. 7600 with 10 years of combined regular service in the grades of Special News Correspondent and TV News Correspondent in PB-3 Rs. 15600-39100/- with grade pay of Rs. 6600/- with minimum 3 years of regular service in the grade of Special News Correspondent and have undergone mandatory training for two weeks Advance TV Journalism course from Indian Institute of Mass Communication. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service. **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission Recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade pay/ Pay scale extended based on the recommendations of the pay commission.	Group- 'A' DPC (for considering promotion):- 1. Chairman/ Member of Union Public Service commission – Chairman 2. Director General: Doordarshan – Member 1. Joint Secretary (Broadcasting), Ministry of Information and Broadcasting – Member;	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

1	2	3	4	5	6	7
2. Special News Correspondent	2* (2014) * (Subject to variation depending on workload)	General Central Service Group 'A' Gazetted, non-Ministerial	Pay Band-3, Rs. 15,600 - 39,100 plus grade pay 7,600	Selection	Not applicable	Not applicable

8	9	10	11	12	13
Not applicable	Not applicable	Promotion	**Promotion:** TV News Correspondent in PB-3 of Rs. 15600-39100 with Grade pay of Rs. 6600 with five years of regular service in the grade and have undergone mandatory training for two weeks Advance TV Journalism course from Indian Institute of Mass Communication. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation	Group- 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion):— 1. Chairman/ Member of Union Public Service commission – Chairman 2. Director General: Doordarshan – Member 3. Joint Secretary (Broadcasting), Ministry of Information and Broadcasting – Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

			period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service. **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01.01.2006/ the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission Recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade pay/ Pay scale extended based on the recommendations of the pay commission.		

1	2	3	4	5	6	7
3.Television News Correspondent	10* (2014) * Subject to variation depending on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Pay band-3, Rs. 15,600 -39,100 plus grade Pay 6,600	Selection	Not applicable	Not applicable

8	9	10	11	12	13
Not applicable	Two Years	Promotion	**Promotion:** TV Asstt. News Correspondents in PB-2 of Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 5400 with five years of regular service in the grade and have undergone mandatory training for two weeks Advance TV Journalism course from Indian Institute of Mass Communication. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service. **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01st January 2006 the date from which the revised pay structure based on the sixth Central Pay Commission Recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade pay or Pay scale extended based on the recommendations of the pay commission.	Group- 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) :— 1. Chairman/ Member of Union Public Service commission —Chairman 2. Director General: Doordarshan —Member 3. Joint Secretary (Broadcasting), Ministry of Information and Broadcasting —Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary.

[F. No. 501/08/2009-BA (E)]

ABHA SHUKLA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.